Matters raised [4 July, 2019] with Permission 19

MR. CHAIRMAN: Those who associate, please send the slips. Now, Shrimati Shanta Chhetri.

Shifting of Gorkha Recruitment Depot and Gorkha Record Office from Darjeeling

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (West Bengal): Hon. Chairman, Sir, I would like to thank you for allowing me to speak.

I would like to draw the kind attention of this august House to the matter that reports of Gorkha Recruitment Depot and Gorkha Record Office being shifted out of Darjeeling have become a serious concern for the people living in the hills. I would like to draw your kind attention to the fact that from the establishment of Gorkha Recruitment Depot at Ghoom, Darjeeling, 1890, over the years, it has become an important part of Gorkha heritage thus huge public sentiments accumulated with time. The Gorkha Recruitment Depot's primary objective was recruitment of Nepalese Gorkhas from Eastern Nepal and Darjeeling District of West Bengal. Sir, with the passage of time, it has gained tremendous technical significance the way it has catered to generation of Gorkha soldiers in the Indian Army.

Sir, the very thought of Gorkha Recruitment Depot and Gorkha Record Office being shifted out of our hills has sent shockwaves in the entire hill region. So, I would like to draw the kind attention of our hon. Defence Minister to reconsider the hugely unpopular decision. Thank you, Sir.

SHRI MANISH GUPTA (West Bengal): Sir, I associate myself with the matter raised by Shrimati Shanta Chhetri.

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA (West Bengal): Sir, I too associate myself with the matter raised by Shrimati Shanta Chhetri.

Need to ban Hand-Pulled Rickshaws in Kolkata

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): सभापित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने देश में एक बहुत पुराना महानगर है, जिसका नाम है कोलकाता, जिसे City of Joy अर्थात् आनंद की नगरी भी कहा जाता है। इस आनंद की नगरी में एक कृत्य हो रहा है, जो आनंददायक नहीं है तथा जिसकी ओर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहंगा।

महोदय, इसी आनंद की नगरी में परिवहन की एक ऐसी व्यवस्था मौजूद है, जिसमें एक व्यक्ति को आनंद देने के लिए दूसरा व्यक्ति उसे ढोता है। महोदय, सभ्य और भद्र लोगों के [श्री महेश पोदार]

बंगाल में यह परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है और आज़ादी के 72 बरस होने के बावजूद भी बंद नहीं हुई। जिन लोगों ने भारत को आज़ादी दिलाई, ऐसा क्लेम करने वाले लोगों ने भी इसे खत्म नहीं किया, जो सर्वहारा की राजनीति करते हैं, उन लोगों ने भी इसे खत्म नहीं किया, जो माँ, माटी, मानुष की राजनीति करते हैं, उन लोगों ने भी इसे खत्म नहीं किया। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपका विषय क्या है?

श्री महेश पोदार: महोदय, अब अंत्योदय की सरकार का इसको खत्म करने का समय आगया है। जापान में यह परंपरा 1860 में शुरू हुई थी। यह भारत में शिमला से शुरू हुई थी, पर कोलकाता में आज भी चल रही है। महोदय, करीब-करीब पाँच हजार लाइसेंसी रिक्शे वाले हैं, 2005 के बाद से नए लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी करीब-करीब 15-20 हजार इस तरह के रिक्शे वाले आज भी इस पेशे से अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। यदि उन्हें कोई अच्छा विकल्प मिले, तो शायद वे इस धंधे से बाहर निकलना चाहेंगे और मैं समझता हूं कि समाज का यह दायित्व भी है।

महोदय, कोलकाता के कुछ ही क्षेत्रों में ये रिक्शे वाले ज्यादा चलते हैं। ये रिक्शे वाले अधिकांश बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों से आते हैं और किसी तरह से मजदूरी करके रात को फुटपाथ पर अपना जीवन बिताते हैं। महोदय, मेरा इस सदन से और सरकार से आग्रह है कि जिस तरह से manual scavenging वगैरह को हटाने के लिए, कुरीतियों को हटाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, उसी तरह कानून बनाकर या फिर कुछ सामाजिक, आर्थिक alternative व्यवस्था करके इस व्यवस्था को खत्म कराने के उपाय किए जाएं।

महोदय, एक ठोस सुझाव यह है कि अभी ई-रिक्शा का प्रचलन है, उन्हें पूरी सब्सिडी देकर या नब्बे प्रतिशत सब्सिडी देकर ई-रिक्शा दिया जाए और इस प्रथा को बंद किया जाए, धन्यवाद।

SHRI G. V. L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Mahesh Poddar.

SHRI SURESH GOPI (Nominated): Sir, I too associate myself with the matter raised by Shri Mahesh Poddar.

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (Assam): Sir, I too associate myself with the matter raised by Shri Mahesh Poddar.

SHRI VINAY DINU TENDULKAR (Goa): Sir, I too associate myself with the matter raised by Shri Mahesh Poddar.

SHRI K. R. ARJUNAN (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the matter raised by Shri Mahesh Poddar.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I too associate myself with the matter raised by Shri Mahesh Poddar.

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, में स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूं।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we too associate ourselves with the matter raised by Shri Mahesh Poddar.

Vacant posts of doctors in newly opened A.I.I.M.S.

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश): आदरणीय सभापति महोदय, १९५२ में एम्स का शिलान्यास हुआ था और 1956 में इसी संसद से उसका स्वायत्तशासी अधिनियम बना कर उसको चलाने की बात हुई थी। एम्स भारत में आशा की एक किरण बना। लोग जो साँस छोड़ते हैं और मौत की घड़ी गिनते हैं, एम्स उनको मौत के मुँह से निकालने का एक बहुत बड़ा संस्थान बना, लेकिन उस पर निरंतर लोड बढ़ता गया। यह लोड बढ़ते-बढ़ते जब उस पर सरकारों की निगाहें गई, तो बहुत जगह एम्स खोलने की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से शुरू हुई। देश में इस दिशा में जो सार्थक प्रयास हुए, उनके परिणामस्वरूप 2007 में भोपाल, 2012 में भूवनेश्वर, 2012 में जोधपुर, 2012 में पटना, 2012 में रायपुर, 2012 में मंगलिंगरी (आन्ध्र प्रदेश), 2015 में नागपुर, 2015 में कल्याणी, 2015 में बिहार, 2016 में भटिंडा, 2016 में गोरखपूर, 2016 में कामरूप, 2017 में बिलासपुर, 2018 में देवघर, 2018 में मदुरई, 2019 में गुजरात, 2019 में विजयपुर, 2019 में अवंतीपोरा और 2019 में ही रेवाड़ी में एम्स खुल रहे हैं। अब जो ये सब एम्स खुले हैं, उनमें आज बहुत खराब स्थिति है। आज एम्स एक भरोसे का नाम है और देश भर से लोग यहाँ आते हैं। जब लोग उन एम्स को देखते हैं, तो उन्हें वे उस निगाह से देखते हैं कि जैसे दिल्ली का एम्स है, वैसे ही एम्स इन सब स्थानों पर शुरू होंगे। सरकार की भावना बहुत अच्छी है, लेकिन अशिवनी जी, जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 9 एम्स ऐसे हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स के लिए 2,395 स्वीकृत पदों में से 1,500 पद रिक्त पड़े हुए हैं, यानी 56 फीसदी जगरहें रिक्त पड़ी हुई हैं। ऐसे ही 9 एम्स में 47.49 प्रतिशत डॉक्टर्स के पद खाली

[†]Transliteration in Urdu Script.